संख्या-50/2022/1083/छप्पन-2022-05(सा0)/2022

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ ।

नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ, दिनांक: 30 जून, 2022

विषय: राज्य में वायुयानों के Maintenance, Repair And Overhaul (एम0आर0ओ0) सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण।

महोदय,

नागर विमानन क्षेत्र में हो रहे निरन्तर विकास और प्रसार के दृष्टिगत एक अनकूल वातावरण बनाए जाने हेतु प्रदेश में Maintenance, Repair And Overhaul (एम0आर0ओ0) Hubs की स्थापना की आवश्यकता है।

2- मा0 मन्त्रि-परिषद की बैठक दिनांक 28 जून, 2022 में राज्य में वायुयानों के Maintenance, Repair And Overhaul (एम0आर0ओ0) सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में नीति एवं नीति में उल्लिखित सभी एम0आर0ओ0 इकाईयों को पूँजी निवेश हेतु निर्धारित दरों पर पूँजी निवेश सब्सिडी दिए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन राज्य में एम0आर0ओ0 की स्थापना के लिए नीति के अर्न्तगत सभी एम0आर0ओ0 इकाईयों को पूँजी निवेश प्रोत्साहन (incentives) दिए जाने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

- एम0आर0ओ0 की स्थापना हेतु किए जाने वाले रू0 500 करोड़ तक के Capital investment पर 5 प्रतिशत Subsidy, रू0 500 से रू0 1,000 करोड़ के Capital investment पर 8 प्रतिशत Subsidy और रू0 1,000 करोड़ से ऊपर के Capital investment पर 12 प्रतिशत subsidy दी जाएगी। रू0 1,000 करोड़ से ऊपर के Capital investment पर Subsidy की upper ceiling रू0 200 करोड़ होगी।
- Subsidy का भुगतान वाणिज्यिक सेवा प्रारम्भ होने के वित्तीय वर्ष के पश्चात अगले वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ होकर अगले 05 वित्तीय वर्षों में समान किश्तों में किया जाएगा।
- एम0आर0ओ0 की स्थापना करने वाली इस नीति के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त प्रदेश सरकार की किसी अन्य नीति में कोई अन्य सुविधा देय नहीं होगी तथा प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत Capital Investment Subsidy के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

- एम0आर0ओ0 की स्थापना करने वाली इकाई के लिए यह अनिवार्य होगा कि Letter of Comfort जारी होने के 05 वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक सेवा अनिवार्य रूप से प्रारम्भ हो जाए।
- एम0आर0ओ0 नीति में किसी प्रकार के परिवर्धन / परिवर्तन के स्थिति में भविष्य में यथा आवश्यकतानुसार निर्णय लेने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत हैं।
- उत्तर प्रदेश में एम0आर0ओ0 नीति का लाभ उन्हीं इकाईयों को अनुमन्य होगा जिसके आवेदन पत्र 31 दिसम्बर, 2024 तक नीति के अन्तर्गत एम0आर0ओ0 की स्थापना हेतु नागरिक उड्डयन विभाग में प्राप्त हो जाएंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संलग्नक:- यथोक्त

भवदीय,
एस0पी0 गोयल
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:-50/2022/1083/छप्पन-2022 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
4. महालेखाकार (प्रथम), प्रयागराज।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, को इस आशय से प्रेषित कि एम0आर0ओ0 नीति के अर्न्तगत एम0आर0ओ0 इकाईयों को पूँजी निवेश हेतु अपने स्तर से प्रचार-प्रसार करें।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 / वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनु0-7/ नियोजन अनु0-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,
कुमार हर्ष
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।